वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान हेतु झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा-06 में यथा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा-06 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में यथा प्रावधानित अनुदान समिति की बैठक दिनांक 19.03.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत की गई।

2. उपस्थिति :- संलग्नक के अनुसार।

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपबंधित राशि से अनुदान विमुक्ति हेतु विचार-विमर्श हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्णांकित बजट उपबंध निम्नवत् है:-

क्रमांक	उपयोजना	बजट उपबंधित राशि (रू.)
1.	OAP	42,50,00,000
2.	TSP	28,05,00,000
3.	SCSP	14,45,00,000
	Total	**85,00,00,000**

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान हेतु कुल प्राप्त ऑनलाईन प्रस्तावों की संख्या अधिक होने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-469 दिनांक 01.03.2021 द्वारा द्विसदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया था। स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी ऑनलाईन आवेदनों के जांचोपरांत समर्पित किये गये अनुशंसा के आलोक में अनुदान समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने/लंबित रखने का निर्णय लिया गया :-

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान हेतु प्रकाशित विज्ञापन, सर्वप्रथम जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2020 निर्धारित थी, का विस्तार दिनांक 15.12.2020 तक विज्ञापन प्रकाशित करते हुए किया गया। ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत कुल 157 इंटर महाविद्यालय,

कुल 121 माध्यमिक विद्यालय, कुल 29 संस्कृत विद्यालय तथा कुल 32 मदरसा का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/ऑफलाईन आवेदन/अपूर्ण आवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान हेतु राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में दिनांक 05.02.2020, 06.02.2020 एवं 07.02.2020 को सम्पन्न विभागीय अनुदान समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-I (झ)(नोट) में उल्लेखित राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत नहीं करने के विषय पर अलग संचिका के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का समुचित आदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

(iii) झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर छात्र संख्या तथा दसवीं बोर्ड परीक्षा/इंटरमीडिएट के परीक्षाफल के समीक्षोपरांत वैसे माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालय जो छात्र संख्या तथा परीक्षाफल की न्यूनतम अर्हता (40 प्रतिशत) पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(iv) अनुदान राशि की गणना का आधार के लिए अनुमान्य अनुदान का उतना ही प्रतिशत देय होगा, जितने प्रतिशत छात्र पूर्व वर्ष की दसवीं बोर्ड परीक्षा/इंटर परीक्षा (तीनों संकाय के औसत परीक्षाफल) में उत्तीर्ण हुए है। यह निर्णय गुणवतापूर्ण शिक्षा तथा आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के अध्याय-03 धारा-(xiii) के प्रावधान के आलोक में लिया गया है।

(v) इंटर महाविद्यालयों के संदर्भ में सभी संकायों को जोड़कर अधिकतम कुल 256 छात्र प्रति यूनिट (4 वर्ग कक्ष) तथा माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में अधिकतम कुल 200 छात्र प्रति यूनिट (4 वर्ग कक्ष) के आधार पर ही अनुदान हेतु छात्र संख्या की गणना की जायेगी। झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

द्वारा बिना पर्याप्त आधारभूत संरचना के विद्यार्थी का प्रवेश लेने वाले संस्था को निदेशित करते हुए आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(vi) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित संस्थान को अनुदान की राशि के भुगतान के पूर्व जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे कि यू डाइस (UDISE Code) में अंकित छात्र संख्या एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के स्तर पर दसवीं बोर्ड परीक्षा/इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों में समानता हो तथा संस्थान अनुदान प्राप्ति हेतु सभी न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करता हो।

(vii) एक ही भू-खण्ड तथा भवन में यदि इंटर महाविद्यालय के अलावे कोई डिग्री महाविद्यालय संचालित है अथवा किसी अन्य स्रोत से उसे सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त होता है, तो ऐसे संस्थान को अनुदान भुगतेय नहीं होगा तथा इसकी सूचना झारखण्ड अधिविद्य परिषद् व निदेशालय को दी जाएगी।

(viii) संस्थान, जिसे अनुदान दिया जाना है, में किसी भी अवधि/स्थिति में यदि घोर अव्यवस्था एवं वित्तीय अनियमितता का मामला पाया जाता है, तो ऐसे संस्थान को भी अनुदान नहीं दिया जायेगा।

(ix) झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 का नियम-07(ञ) तथा झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 का नियम-09(ख) में निहित प्रावधान के अनुपालनार्थ किसी भी परिस्थिति में संस्थान में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(x) अनुदान राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत अनावर्त्ती मद यथा; E-Library/पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास आदि के विकास एवं संवर्द्धन इत्यादि की व्यवस्था हेतु व्यय किया जायेगा।

(xi) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संस्थानों को सामान्य स्तर की श्रेणी का मानते हुए ही निर्धारित छात्र संख्या के Slab के आधार पर अनुदान की गणना की जाय।

(xii) ऐसे स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय को अनुदान की राशि देय नहीं होगी, जिनकी स्थायी प्रस्वीकृति झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा किसी भी समय रद्द कर दी गयी हो अथवा तत्संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(xiii) अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के खाता का एकल संचालन नहीं किया जायेगा। यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है, तो उसे अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा। खाता संचालन स्थापित प्रक्रिया/नियमावली के अनुरूप ही की जायेगी।

(xiv) देय अनुदान राशि की वास्तविक गणना कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के स्तर से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त राशि की निकासी कर संबंधित संस्थानों के खाता में DBT/RTGS/NEFT के माध्यम से नियमानुसार हस्तांतरित करेंगे।

(xv) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संस्थावार सभी सूचना अलग-अलग संचिका में संकलित रखेंगे, ताकि भविष्य में बार-बार उसी सूचना की Hard Copy प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे। संक्षिप्त सूचना जिला तथा राज्य के Portal पर डाला जाय एवं सभी संस्थानों का E-Mail-ID खुलवाना सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 एवं यथासंशोधित नियमवाली, 2015 में निहित प्रावधान के अनुरूप किये जाने की पूर्ण जबावदेही संस्थान के प्रबंध समिति/शासी निकाय की होगी।

(xvii) ऐसे संस्था जिसने गत वर्ष का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया है, उसका अनुदान जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के क्रम में इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अनुदान के पूर्व इसे जिला शिक्षा पदाधिकारी

प्राप्त कर लें एवं इसकी सत्यता की जांच मूल अभिलेखों से कर लें। तत्पश्चात् पूर्ण से संतुष्ट होकर ही अनुदान राशि विमुक्त करें।

(xviii) विभागीय संकल्प संख्या-1090 दिनांक 29.11.1980 के प्रावधानों के तहत प्रस्वीकृत मदरसा तथा संकल्प संख्या-2291 दिनांक 18.10.1976 के प्रावधानों के तहत् प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय, जो अनुदान हेतु निर्धारित सभी न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करते हैं, को विभागीय संकल्प संख्या-1953 दिनांक 18.10.2014 के तहत् अनुदान की स्वीकृति दी गई।

(xix) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड/नीति के तहत की गई समीक्षा एवं निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय/स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा के कुल प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों पर संलग्न विवरणी के अनुसार संस्थानों को अनुदान राशि की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित मामलों की पूर्ण विवरणी परिशिष्ट-A-1, A-2, A-3 (इंटर महाविद्यालय हेतु), B-1, B-2, B-3 (प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय हेतु), C-1, C-3 (संस्कृत विद्यालय हेतु), D-1, D-2 (मदरसा हेतु) पर रक्षित है। संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :-

क्र. सं.	संस्थान	कुल प्राप्त आवेदन	समिति द्वारा विचार किये गए आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा स्वीकृत किये गए कुल आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा अस्वीकृत किये गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या जिन पर समिति द्वारा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के उपरांत निर्णय लिया जाएगा।	कुल प्रस्तावित राशि (रू. में)
1	इंटर महाविद्यालय	157	157	145	10	02	33,72,07,356.00
2.1	प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय	79	79	64	10	05	4,11,47,509.00
2.2	राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	42	42	0	0	42	(अलग संचिका में उपस्थापित)
3	संस्कृत विद्यालय	29	29	28	00	01	81,60,000.00
4	मदरसा	32	32	30	02	00	61,20,000.00
	कुल	339	339	267	22	50	39,26,34,865.00

(xx) इस वर्ष आवेदनों की जांच में विलम्ब को देखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदनों को प्रथम तिमाही में ही प्राप्त कर लिया जाय। गत वर्ष के परीक्षाफल के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रावधान हेतु पिछले वर्ष को छोड़कर उसके पिछले वर्ष के परीक्षाफल को आधार बनाया जाय, ताकि आवेदन शीघ्र प्राप्त करके अनुदान प्रत्येक वर्ष ससमय उपलब्ध कराया जा सके। उदाहरणतया वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल को आधार बनाया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची	19/03/2021 उप निदेशक (विषय प्रभारी), माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची।	19/03/2021 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची।	संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड रांची।
19/03/2021 योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड, रांची के प्रतिनिधि। (सदस्य)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड रांची। (सदस्य सचिव)		सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड रांची। (अध्यक्ष)